राजस्थान सरकार

विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.8(1) विधि-2 / 2011 / पार्ट VIII / 133 जयपुर, दिनांक : 01.07. 2015

आज्ञा

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को मध्यस्थों को संदत्त किये जाने वाले मानदेय की दरों के निर्धारण के बारे में निम्नानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S.No.	Nature of case	Honorarium
01.	On settlement throuth mediation of a matrimonial case [including criminal], custody, guradianship possession.	Rs. 3000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 4000/-]
02.	All other matters.	Rs. 2000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 3000/-]
03.	Connected case	Rs. 500/- per case subject to a maximum of Rs. 1000/- [regardless of the number of connected cases]
04.	In case of no settlement	No honorarium.

वित्त विभाग की यह भी टिप्पणी है कि उक्त दरें आज्ञा जारी करने के दिनांक से लागू होगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या 101502460 दिनांक 29.06.2015 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (वि.र.सं.) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सहायक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन, सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (वि.र.सं.) विभाग

❖ ❖ ❖